संख्या- 15 /2026/1085/96-आयुष-1-2026/ई0-1764802

प्रेषक,

रंजन कुमार,
प्रमुख स चव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 29.05.2026

वषय- स्वामी कल्याणदेव राजकीय आयुर्वेद महा वद्यालय एवं च कत्सालय, मुजफ्फरनगर में पंचकर्म भवन निर्माण कार्य हेतु तृतीय कश्त अवमुक्त कये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युकत वषयक अपने पत्र संख्या-20/502/का0नि0/2026-27/योजना, दिनांक 17 अप्रैल, 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है क स्वामी कल्याणदेव राजकीय आयुर्वेद महा वद्यालय एवं च कत्सालय, मुजफ्फरनगर में पंचकर्म भवन निर्माण कार्य हेतु शासनादेश संख्या-03/2024/6361/001-1764802, दिनांक 20.02.2024 द्वारा धनरा श रू0-843.57 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं उक्त के क्रम में प्रथम कश्त के रूप में धनरा श रू0-100.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-20/2025/2299/001-96-आयुष-1-2025-ई0पत्रा0-1908683, दिनांक 25.07.2025 द्वारा द्वतीय कश्त के रूप में धनरा श रू0-500.00 लाख अर्थात अद्यतन कुल धनरा श रू0-600.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है। चालू वत्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-33 के अन्तर्गत प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु तृतीय कश्त के रूप में धनरा श रू0-200.00 लाख (रूपया दो करोड़ मात्र) अवमुक्त कये जाने की निम्न ल खत शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(1)- वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनॉक-28-03-2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य मार्गदर्शी शासनादेशों/नियमों में उल्लि खत दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत संबं धत उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वत्तीय नियमों तथा लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा निर्गत जेम पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-57/18-2-2024-97(ल0उ0)/2016, दिनांक 26 नवम्बर, 2024 का अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

(3)- प्रायोजना को स्वीकृत लागत में पूर्ण कराने का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद सेवाएँ, उ0प्र0 तथा कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। परियोजना को यथावश्यकता निरीक्षण करने तथा पुर्ण गुणवत्ता के साथ नियत समयाव ध में पूर्ण करने का दायित्व निदेशक आयुर्वेद सेवाएँ, उ0प्र0 का होगा।

(4)- बजट प्रा वधान के सापेक्ष धनरा श की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, आयुर्वेद, उ0प्र0 तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य का होगा। निदेशक, आयुर्वेद, उ0प्र0 तथा सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा बजट प्रा वधान के सापेक्ष अवशेष धनरा श की उपलब्धता की स्थिति में अवमुक्त धनरा श को आवंटित/व्यय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट से सत्या पत की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

कया जायेगा। अवमुक्त धनरा श का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार कया जायेगा। स्वीकृत धनरा श को कसी पोस्ट आ फस/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(5)- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित लागत में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो। इस हेतु वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/ दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21.06.2017 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(6)- प्रश्नगत धनरा श जिस कार्य/मद हेतु अवमुक्त की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु कया जायेगा। इस हेतु निदेशालय स्तर पर एक लेजर बनाया जायेगा, जिसको निय मत रूप से अद्याव धक रखने का उत्तरदायित्व निदेशक, आयुर्वेद, उ0प्र0 का होगा।

(7)- निदेशक, आयुर्वेद/संबं धत प्रधानाचार्य तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य सम्पादित करते समय वत्त वभाग/लोक निर्माण वभाग द्वारा समय समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों एवं अन्य संगत प्रा वधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अवमुक्त धनरा श का व्यय कया जायेगा।

(8)- प्रायोजना में प्रस्ता वत की गयी मात्राओं/प्रा वधानों/दरों के औ चत्य की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, आयुर्वेद, उ0प्र0 तथा कार्यदायी संस्था की होगी। परियोजना में प्रस्ता वत की गयी मात्राओं को निर्माण/स्थापना के समय नियमानुसार सुनिश्चित कये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व निदेशक, आयुर्वेद, उ0प्र0 तथा कार्यदायी संस्था का होगा।

(9)- प्रायोजना की उत्तरवर्ती कश्तें निर्गत कये जाने हेतु आयुष अनुभाग-2,उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-461/96-आयुष-2-2019-09(बी)/2018, दिनॉक 13-03-2019 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों/नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कया जाय।

(10)- उक्त धनरा श को व्यय करने के पूर्व की जाने वाली समस्त औपचरिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट कया जाता है क उक्त धनरा श को वभागाध्यक्ष/नियंत्रक अ धकारी के निर्वतन पर रखे जाने के मात्र से कसी प्रकार के व्यय करने का प्रा धकार नहीं मल जाता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वत्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्रा धकारी की स्वीकृति वभागाध्यक्ष/नियंत्रक अ धकारी द्वारा प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में धनरा श व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सुसंगत नियमों के अंतर्गत नियमानुसार आवश्यक प्राप्त कर ली जाय।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वत्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 033 लेखा शीर्षक 4210018000500 आयुर्वेदिक कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय वभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अ धकार के अंतर्गत निर्गत कये जा रहे है।

भवदीय,

रंजन कुमार
प्रमुख स चव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट से सत्या पत की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 15 **/2026/1085/96-**आयुष-**1-2026,** तद्दिनांक।

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षतः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वतीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम/द्वतीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

3- वत्त नियंत्रक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

4- संबं धत मुख्य कोषा धकारी (द्वारा निदेशक आयुर्वेद)।

5- संबं धत प्रधानाचार्य/अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेद महा वद्यालय एवं च कत्सालय मुजफ्फरनगर (द्वारा निदेशक आयुर्वेद)।

6- प्रबंध निदेशक/संबं धत परियोजना अ धकारी, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन ल मटेड।

7- आयुष अनुभाग-2/ वत्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/ वत्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बजरंगी मौर्या
अनु स चव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट से सत्या पत की जा सकती है।